

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय सहायक आयुक्त (क0नि0)-II राज्य कर, रुद्रपुर द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क0नि0)-II राज्य कर, रुद्रपुर के माह 04/2016 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्रीमती रेखा एवं श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 20.02.2019 से 28.02.2019 तक श्री अशोक कुमार वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

परिचयात्मक: इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री प्रवीण कुमार एवं श्री सिराज हुसैन सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 20.02.2017 से 01.03.2017 तक श्री एन.के.सिन्हा वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में संपादित की गयी थी जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2014 से 03/2016 तक लेखा अभिलेखों का निरीक्षण किया गया। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 04/2016 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

1. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र:
2. (ii) (अ) राजस्व विवरण

विगत तीन वर्षों में कार्यालय (वा0कर,) द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (₹लाख में)
2015-16	1407.78
2016-17	2120.65
2017-18	1443.51 लाख (नवम्बर 2017 तक)

(ii)(ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत

है:(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	स्थापना		गैर स्थापना	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
		आवंटन	व्यय			
		शून्य				

(I) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष ₹	प्राप्त ₹	व्यय अधिक्य (+) ₹	बचत (-) ₹
		शून्य			

(iii)इकाई को बजट आवंटन शासन से मुख्यालय को, मुख्यालय से डी0डी0ओ0 द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई A श्रेणी की है।

(iv)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

सचिव, वित्त > आयुक्त कर, वाणिज्य कर> ज्वाइंट कमिश्नर, वाणिज्य कर> डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर> सहायक आयुक्त , वाणिज्य कर> वाणिज्य कर अधिकारी,

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि: लेखापरीक्षा में कर निर्धारण को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय सहायक आयुक्त (क0नि0)-II राज्य कर, रुद्रपुर की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-

राजस्व: ----- को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

व्यय: ----- को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- कोई नहीं।

(viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर-01 कर एवं अर्थदण्ड के अनारोपण से राजस्व क्षति ₹0.71 लाख

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 3(1) के अनुसार किसी व्यौहारी द्वारा अथवा व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर किये गये प्रत्येक विक्रय पर इस अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत कर आरोपित किया जायेगा तथा अधिनियम की धारा 58(1)(xiv)के अनुसार मिथ्या लेखा रजिस्टर या दस्तावेज रखा है या प्रस्तुत किया है वो कर की उस धनराशि का कम से कम 50% किन्तु 200% से अनधिक जो तद द्वारा परिवर्णित हो जाती, अर्थदण्ड का भागी होगा।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क0नि0)-खंड-02 राज्य कर रुद्रपुर के अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि सर्वश्री शिवम ट्रेडर्स Tin No 05004680954 कर निर्धारण वर्ष 2013-14 द्वारा 26 आयात घोषणा पत्र का प्रयोग कर ₹28,33,515 की आयातित होज़री गुड्स की खरीद घोषित की गयी है। संगत वर्ष की पत्रवाली की जांच मे पाया गया व्यापारी द्वारा 31 फार्म 16 का प्रयोग करके ₹37,75,966 की होज़री गुड्स का आयात किया गया है। इस प्रकार व्यापारी द्वारा ₹9,42,451 (₹37,75,966 - 28,33,515) की क्रय को दर्शाया नहीं गया है न ही इसे अंतिम अवशेष मे लिया गया है। अतः उक्त धनराशि को बिक्री मानते हुये 5 प्रतिशत की दर से कर ₹47,123 (₹942451 x 5 प्रतिशत) व्यापारी पर आरोपणीय है एवं इस पर 50 प्रतिशत अर्थदण्ड ₹23,561 भी आरोपणीय है।

उक्त को इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा पत्रावली के परीक्षणोंपरांत वस्तु स्थिति/कृत कार्यवाही से अवगत कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग 2(ब)

प्रस्तर-02 अर्थदण्ड का अनारोपण ₹0.50 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा-58(1)(vii) के अन्तर्गत किसी व्योहारी ने युक्ति-युक्त कारण के बिना अधिनियम के उपबन्धों के अधीन देय कर अनुमन्य समय के भीतर जमा नहीं किया है तो वह देय कर का कम से कम दस प्रतिशत किन्तु अधिक से अधिक पच्चीस प्रतिशत, यदि कर ₹10000 तक हो और देय कर का 50% यदि कर ₹10000 से अधिक हो का दायी होगा।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क0नि0)-खंड-02 राज्य कर, रुद्रपुर के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि कि संलग्न विवरण के अनुसार दो व्यापारियों द्वारा अपना देय कर ₹ 4,95,142 विलंब से जमा किया गया, जिस पर कम से कम 10 प्रतिशत ₹ 49,514 (₹4,95,142 x 10 प्रतिशत) का अर्थदण्ड अनारोपित रह गया।

उक्त को इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा पत्रावली के परीक्षणोपरांत कृत कार्यवाही से अवगत कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

अतः ₹ 49,515 के अनारोपित अर्थदण्ड का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

देय कर अनुमन्य समय के भीतर जमा न करने पर अर्थदण्ड का अनारोपण

क्रम सं०	ब्यौहारी का नाम	कर निर्धारण वर्ष	माह	कर की राशि (₹)	कर जमा करने की निर्धारित तिथि	कर जमा करने की वास्तविक तिथि	विलम्ब	अर्थदण्ड (कर का न्यूनतम 10%) (₹में)
1.	सर्वश्री शिवम ट्रेडर्स टिन सं- 05004680954	2013-14	04/2013	55740	25/05/2013	03/06/2013	09 दिन	5574
			05/2013	40962	25/06/2013	01/07/2013	06 दिन	4096
			07/2013	21505	25/08/2013	29/08/2013	04 दिन	2151
			08/2013	36219	25/09/2013	30/09/2013	05 दिन	3622
2	सर्व श्री दुर्गा ट्रेडर्स टिन सं० 05005826039	2013-14	11/2014	340716	25.12.2013	02.01.2014	08 दिन	34072
योग								49515

भाग 2 (अ)**प्रस्तर-01 कर के न्यूनारोपण से राजस्व क्षति ₹17.87 लाख**

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा- 4(2)(ख)(i)(ई) के प्रावधानों के अनुसार किसी भी अनुसूची में सम्मिलित माल से भिन्न माल के संबंध में 13.5% की दर से कर आरोपणीय होगा।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क0नि0)-खंड-02 राज्य कर, रुद्रपुर के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि M/s श्री ओम सेल्स स्वतः कर निर्धारण वर्ष 2013-14 में व्यापारी द्वारा कुल 1,44,21,378 एवं वर्ष 2014-15 में ₹66,03,271 की कुल 2,10,24,649 (₹1,44,21,378 + ₹66,03,271) की रेटा एवं बजरी की बिक्री की गयी थी। जिस पर 5 प्रतिशत की दर से कर स्वीकार किया गया था। स्वतः कर निर्धारण पत्रावली पर संलग्न क्रय सूची के अनुसार रेटा बजरी का क्रय स्टोन क्रशर से किया गया था। स्टोन क्रशर से क्रय की गयी रेटा बजरी पर 13.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय था। अतः अंतरीय कर 8.5 प्रतिशत (13.5 - 5) की दर से ₹17,87,095 (₹2,10,24,649 x 8.5) का कर व्यापारी पर आरोपणीय था एवं इस पर नियमानुसार ब्याज भी देय था।

उक्त को इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा पत्रावली के परीक्षणोपरांत कृत कार्यवाही से अवगत कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

अतः ₹ 17.87 लाख कर के न्यूनारोपण का प्रकरण शासन/उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाए जाने हेतु प्रस्तुत है।

STAN

प्रस्तर-1 कम समाधान राशि निर्धारण करने से राजस्व क्षति ₹ 7557

वित्त अनुभाग-8 उत्तराखण्ड के शासनादेश संख्या-330/2012/14/ XXVII (8) 06दिनांक 17 अप्रैल 2012 के पैरा (4) (क)के अनुसार जिन मामलों में संविदाकार द्वारा वित्तीय वर्ष में निष्पादित ठेके की कुल धनराशि के पाँच प्रतिशत तक माल के आयात का प्रयोग किया गया हो, उसमें उपरोक्तानुसार आगणित धनराशि के चार प्रतिशत की दर से समाधान राशि की गणना की जायेगी।

वित्त अनुभाग-8 उत्तराखण्ड के शासनादेश संख्या-627/2012/14/ XXVII (8)06दिनांक 03 जुलाई 2012 के अनुसार सिविल एवं विद्युत संविदाकार जो संविदा की कुल धनराशि के 5 प्रतिशत तक आयात करेंगे उन पर 4 प्रतिशत के समतुल्य समाधान राशि की करदेयता बनती है तथा 5 प्रतिशत तक आयात करने वाले से अभिप्राय 0 से 5 प्रतिशत तक है, अतः आयात न करने वाले संविदाकार भी इस श्रेणी में माने जायेंगे।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क0नि0) द्वितीय राज्य कर रुद्रपुर के माह 04/2016 से 03/2018 तक के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पाया गया कि व्यौहारी सर्वश्री गुरुचरन सिंह कान्टेक्टर गदरपुर रुद्रपुर टिन 05008621773 एक सिविल संविदाकार के रूप में विभाग में पंजीकृत है। व्यौहारी द्वारा वर्ष 2014-15 समाधान विकल्प अपनाया गया है। कर निर्धारण वाद के अनुसार कुल भुगतान ₹99,16,855.00 पर दो प्रतिशत की दर से ₹1,98,337.00 समाधान की धनराशि निर्धारित की गयी थी। उपरोक्त नियम के आलोक में निम्नवत कम समाधान राशि का निर्धारण किया गया:-

संविदा सं० तथा संविदा वर्ष	भुगतान की धनराशि ₹ में	निर्धारित समाधान की राशि चार प्रतिशत की दर से ₹ में	ली गयी समाधान की धनराशि (2%की दर से) (₹में)	कम ली गयी समाधान की धनराशि (₹में)
278/AE/2012-13	3,77,874.00	15,115.00	7557.48	7557.00

उक्त को इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा पत्रावली के परीक्षणोपरांत कृत कार्यवाही से अवगत कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

अतः ₹ 7,557 कम समाधान की राशि का निर्धारण किए जाने प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर-03 कर के अनारोपण से राजस्व क्षति ₹0.3 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 3(1) के अनुसार किसी व्यौहारी द्वारा अथवा व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर किये गये प्रत्येक विक्रय पर इस अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत कर आरोपित किया जायेगा। पुनः उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 4(2)(i)(आ) के प्रावधानों के अनुसार अनुसूची II (ख) में विनिर्दिष्ट माल पर 5 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया जायेगा।

सहायक आयुक्त (क0नि0)-2 राज्यकर विभाग रुद्रपुर के माह 04/2016 से 03/2018 तक के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पाया गया कि व्यौहारी सर्वश्री शिवम ट्रेडिंग कम्पनी रुद्रपुर टिन 05011880779 कर निर्धारण वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के वादों को उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 25 (3) के अनुसार स्वतः कर निर्धारण की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। आगे करनिर्धारण पत्रावलियों की जाँच में पाया गया कि व्यौहारी द्वारा वर्ष 2013-14 में वेस्ट काटन की ₹248940 (64,225+90,560+94,155) तथा वर्ष 2014-15 में ₹545246 की बिक्री की गयी किन्तु इस पर कोई कर आरोपित नहीं किया गया। जबकि उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की अनुसूची दो (ख) क्रमॉक 37 के अनुसार वेस्ट काटन पर पाँच प्रतिशत की दर से कर निर्धारित किया गया है। इस प्रकार वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में वेस्ट काटन की बिक्री ₹617186 (248940+368246) पर पाँच प्रतिशत की दर से ₹30859 (61718X5%) कर अनारोपित रह गया।

उक्त को इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा पत्रावली के परीक्षणोपरांत कृत कार्यवाही से अवगत कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

अतः ₹ 0.31 लाख के कर के अनारोपण का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 (ब)

**प्रस्तर-04 आई टी सी को रिवर्स न किए जाने एवं अर्थदण्ड के अनारोपण से राजस्व क्षति
₹0.40 लाख**

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 6(2) के अनुसार इनपुट टैक्स का लाभ, जिसके लिये पंजीकृत व्यौहारी हकदार होगा, कर की वह धनराशि होगी, जो कर अवधि के दौरान ऐसे प्रयोजन हेतु एवं ऐसी शर्तों के आधीन रहते हुए जैसा कि इस धारा में विनिर्दिष्ट है, किये गये क्रय के क्रय धन पर पंजीकृत व्यौहारी द्वारा विक्रेता व्यौहारी को भगतान किया गया और जिसके कारण ऐसी रीति से की जायेगी जैसा कि विहित की जाये। इस अधिनियम की धारा 58(1)(xi) के अनुसार इनपुट टैक्स के लाभ के रूप में किसी धनराशि का गलत दावा करता है या किसी मिथ्या बिक्री विजक के आधार पर इनपुट टैक्स के लाभ का दावा करता है तो पाँच हजार रूपया दावा कृत धनराशि की तीन गुणा धनराशि, जो भी अधिक हो, देय होगा।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क0नि0)-खंड-02 राज्य कर, रुद्रपुर के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री कृष्णा सर्विस स्टेशन रुद्रपुर टिन नं0 05004645258 कर निर्धारण वर्ष 2013-14 द्वारा क्रय के संबंध में दाखिल सूची के अनुसार विक्रेता व्यापारी के टिन नं0 के स्थान पर स्वयं का टिन नं0 05004645258 पर आई टी सी ₹ 16,021 का दावा किया गया था। अतः ₹16,021 की आई टी सी रिवर्स करते हुये उक्त के तीन गुणा अर्थदण्ड भी व्यापारी पर आरोपणीय था।

उक्त को इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि व्यौहारी कि पत्रावली का परीक्षण किया गया, जांच पर पाया गया कि व्यौहारी द्वारा online प्रस्तुत की गयी क्रय से संबन्धित अनुलग्नकों में पंजीकृत व्यौहारी से किए गए क्रय संबंधी विवरण दिये गया है। रिटर्न के साथ संलग्न क्रय से संबन्धित अनुलग्नकों के विवरणों की downloaded प्रति संलग्न है।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि जो विवरण उपलब्ध कराये गया उसमें क्रेता व्यापारी का ही नाम एवं टिन नं अंकित था। व्यापारी के द्वारा विक्रेता व्यापारी से क्रय के बिल भी संलग्न किए गए हैं जो की पूरे नहीं हैं। अतः संलग्न बिल की आई टी सी ₹6,068 को कम करने के पश्चात ₹9,953 (₹16,021 - ₹6,068) की आई टी सी रिवर्स योग्य है एवं इस पर तीन गुणा अर्थदण्ड ₹29859 भी आरोपणीय है। अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
CT/31/06-07	1	2
CT/15/08-09	1,2,3,4	5(क), 5(ख)
CT/14/09-10	-	1
CT/25/10-11	-	(STAN-1)
CT/09/11-12	-	1
CT/39/2013-14	1	1,2
CT/36/2014-15	-	1,2,3
CT/49/2016-17	1	1,2,3,4,5

भाग-IV**इकाई के सर्वोत्तम कार्य**

- (1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य
- (2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

भाग-V**आभार**

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय कार्यालय सहायक आयुक्त (क0नि0)-II राज्य कर, रुद्रपुर तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. सतत् अनियमितताएं:
टिप्पणी- शून्य
3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं०	नाम	पदनाम
(i)	सुश्री शुचि तिवारी	सहायक आयुक्त (24.09.15 से अब तक)

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय सहायक आयुक्त (क0नि0)-II राज्य कर, रुद्रपुर को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जाए।

व0लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र